

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक :- एफ28(28)पंरावि/प्रशा-2/ग्राविअ/स्थाना-पद./2022/

4163 जयपुर, दिनांक:- 15/11/22

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद- कोटा, नागौर ।


विषय :- ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन बाबत।

निर्देशानुसार निम्न ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश उनकी संस्थापन संबंधी सूचना से मिलान कर, नियमानुसार जारी करते हुए, विभाग को अवगत करावें :-

क्र.स	नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री जाकिर हुसैन	आदेशों की प्रतीक्षा में	ग्रा0पं0 जलोदा खातियान पं.स इटावा, कोटा
2	श्री ललित कुमार मालव	आदेशों की प्रतीक्षा में	पं0सं0 इटावा, कोटा (किसी भी ग्रा0प0 में रिक्त पद पर)
3	श्री भैरूराम गोदारा	ग्रा0पं0 हुडिया पं0स0 मकराना, नागौर	ग्रा0पं0 गेहडाकंला पं0स0 मकराना नागौर


नोट :-

- उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन कार्मिक के सही नाम एवं पदनाम से है।
- यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
- यदि किसी कार्मिक की परिवीक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।
- यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे।
- यदि कोई ग्राम विकास अधिकारी निलम्बित चल रहा है तो उसका स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।


(राजेश वर्मा)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग।
- विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग।
- निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्राविपंरा, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)